**राजस्थान सरकार**

**न्यायालय तहसीलदार बीदासर**

प्रकरण संख्या 01/19 दायरा दिनांक 31.05.2019 पीठासीन अधिकारी

श्री अमीलाल यादव
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

पटवारी पटवार मण्डल ढाणी कालेरां

प्रार्थी..................

बनाम

इब्राहिम पुत्र मुस्तफा जाति सिलावट निवासी बीदासर वगैरह

अप्रार्थी.............

**निर्णय** दिनांक 24.06.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र मुखराम मण्डा व अन्य निवासीगण ग्राम ढाणी कालेरां के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ढाणी कालेरा के खसरा नं. 223 में उमाराम पुत्र भैराराम व सपताराम पुत्र भैराराम निवासीगण ग्राम ढाणी कालेरा ने रास्ता कातला व तारबन्दी खींचकर आमजन का सुखाचार एवं आवागमन बाधित किया है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का ढाणी कालेरां से रिपोर्ट ली गई। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 223 के खातेदार इब्राहिम पुत्र मुस्तफा जाति सिलावट निवासी बीदासर द्वारा कातले व तार खींचकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 2265/223, 226 व 227 में अप्रार्थीगण उमाराम, सपताराम, करणीराम पुत्रगण भैराराम जाति जाट एवं भैराराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासीगण ढाणी कालेरां ने अपने खातेदारी खसरा नम्बर 226, 227 में से गुजरने वाले गैर मुमकिन रास्ते को दो जगह से कुल 08.26 वर्ग फुट पट्टियां व तारबंदी एवं खसरा नम्बर 2265/223 के खातेदार इब्राहिम पुत्र मुस्तफा जाति बीदासर ने अपनी खातेदारी भूमि में से गुजरने वाले गैर मुमकिन रास्ते के 04.13 वर्ग फुट भूमि को तारबंदी एवं पट्टिया लगाकर रास्ता रोक लिया है। जिससे आमजन का सुखाचार एवं आवागमन बंद हो गया है। प्रकरण खातेदारी भूमि से संबंधित होने के कारण आरटीएक्ट की धारा 251 के तहत दर्ज कर सभी अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगणों को दिनांक 07.06.2019 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए तारीख नीयत की गई। नीयत तारीख पेशी को अप्रार्थी इब्राहिम के अधिवक्ता मोहम्मद शाहिद ने वकालतनाम प्रस्तुत किया एवं जवाब समय चाहा गया। समय दिया गया एवं उक्त दिनांक तक शेष अप्रार्थीगणों के नोटिस अदम तामिल पेश हुए शेष अप्रार्थीगणों को पुनः तामिल हेतु नोटिस जारी किये गये। पुनः सुनवाई की दिनांक 14.06.2019 को अप्रार्थी इब्राहिम के अधिवक्ता उपस्थित अन्य सभी अप्रार्थीगण अनुपस्थित। दिनांक 18.06.2019 को अप्रार्थीगण भैराराम एवं करणीराम की और से अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण भैराराम एवं करणीराम के अधिवक्ता ने अपने जवाब में बताया कि उक्त अप्रार्थीगणों का खसरा नं. 223 से किसी प्रकार से संबंध नहीं है और न ही वह खातेदार है। इसलिए

पटवारी हल्का की रिपोर्ट का पुनः अवलोकन करने पर प्रतीत हुआ कि खसरा नं. 2265/223, 226 व 227 में उक्त अप्रार्थीगणों ने रास्ते को अवरूद्ध किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उल्लेखित अप्रार्थीगणों के विरूद्ध पुनः संशोधित नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण उमाराम एवं सपताराम के घर पर नहीं मिलने के कारण उनके नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगणों के अधिवक्ता ने जवाब नोटिस दिनांक 21.06.2019 को प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब में प्रस्तुत किया गया कि खसरा सं. 226 व 227 में अन्य खातेदारों को नोटिस जारी नहीं हुआ है तथा सभी खातेदारों को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जावें। पत्रावली में प्रस्तुत जवाब नोटिस एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट का विस्तृत अवलोकन किया गया। पत्रावली में पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट होता है कि केवल मौके पर इन खसराजातों के पांच खातेदारों ने ही गैर मुमकिन रास्ते को रोक कर आवागमन अवरूद्ध किया है। अतः पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगणों को ही नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण उमाराम व सपताराम को पुर्व में दिनांक 18.06.2019 को जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने से दिनांक 21.06.2019 को पुनः नोटिस जारी किया गया एवं सपताराम घर पर नहीं मिलने के कारण नोटिस की चस्पादंगी उनके घर पर करवाकर एवं उमाराम की तामिल स्वयं के अ. नि. हस्ताक्षर करवाकर तामिल करवाई गई।

सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस के अनुसार वर्तमान में खसरा सं. 2265/223, 226 व 227 में कब्जा एवं काश्त करने के कारण इन पॉच अप्रार्थीगणों ने ही रास्ते को अवरूद्ध कर आवागमन एवं सुखाचार को बाधित किया है। अतः अप्रार्थीगण को बेदखल कर अवरूद्ध रास्ता खुलवाने के आदेश दिये जाते है। भू0अ0 निरीक्षक बीदासर को अवरूद्ध रास्ता खुलवाने हेतु लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अमीलाल यादव)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर